प्रेस विज्ञप्ति **29.04.2024**

जी0एस0टी0 में टैक्स चोरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ लेना अथवा उसका उपयोग करना। रिफण्ड गलत तरीके से प्राप्त करने के मामलों में। बिना माल या सेवा प्राप्त किये इनवायस जारी करना एवं इसी प्रकार की इनवयसों को प्राप्त करना। जी0एस0टी0 बिल में चार्ज करने के उपरान्त तीन महीने तक सरकारी कोष में जमा न करना। करचोरी की नियत से त्रुटिपूर्ण कूटरचित दस्तावेज तैयार करना। किसी सरकारी अधिकारी के काम में बाधा पहुँचाना। ट्रान्सपोर्टर द्वारा माल का परिवहन एवं भण्डारण, जो बिना कर अदा किये हुए है, इस तथ्य को जानते हुए करना। किसी भी दस्तावेजो एवं साक्ष्यों की जानबूझकर छेडछाड़ करना एवं समाप्त करना, आदि जी0एस0टी0 जेल सजा के दायरे में हैं। यदि धनराराशि पाँच करोड़ रूपये से अधिक है। तब जेल सजा तीन वर्ष जुर्माने के साथ होगी। दो करोड़ से पाँच करोड़ तक टैक्स चोरी के मामले में तीन साल की सजा जुर्माने के साथ होगी। एक करोड़ से अधिक एवं दो करोड़ से कम धनराशि होने पर एक वर्ष जेल की सजा जुर्माने के साथ की जा सकेगी। जी0एस0टी0 सर्च के दौरान पाँच करोड़ से अधिक कर चोरी पायी जाती है। तब विभाग के सर्च अधिकारी कारोबारी को गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद चैबीस घंटे के अन्दर प्रथम श्रेणी के पीठासीन न्यायिक अधिकारी के समक्ष कारोबारी को प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश उनकी जमानत प्रार्थनापत्र पर विचार करेंगे। गिरफ्तारी व जेल सजा कार्यवाही कमिश्नर की पूर्व अनुमति से ही की जाएगी। उक्त जानकारी आज दिनांक 29 अप्रैल, 2024 को मर्चेन्ट चेम्बर आफ उत्तर प्रदेश एवं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएषन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जी0एस0टी0 की गोष्ठी में अपराध मामले के विषेशज्ञ अधिवक्ता चिन्मय पाठक द्वारा व्यक्त की गयी।

श्री चिन्मय पाठक ने आगे बताया कि केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा इस आशय के निर्देष जारी किये गये हैं। सामान्य तौर पर सर्च के समय इन मामलों में रूपया पाँच करोड़ से अधिक जी0एस0टी0 चोरी होने पर ही गिरफ्तारी की जाय। किन्तु आदतन करचोरी वाले कारोबारियों की गिरफ्तारी इस धनराशि से कम होने पर भी की जा सकेगी। पिछले दो वर्षों में पाँच करोड़ से अधिक की कर चोरी। आई0टी0सी0 दुरूपयोग एवं धोखाधड़ी के मामलों में डाटाबेस से यह आदतन कारोबारी चिन्हित किये जाएंगे। जिन मामलों में अदालत द्वारा जमानत नहीं प्रदान की गयी है। उन मामलों में साठ दिन के अन्दर आपराधिक अदालत में पूरा केस अवश्य दाखिल कर दिया जाएगा।

मर्चेन्ट चेम्बर आफ उत्तर प्रदेश जी0एस0टी0 कमेटी के चेयरमैन सन्तोष कुमार गुप्ता द्वारा यह विचार व्यक्त किये गये कि सर्च के समय गिरफ्तारी करना उचित एवं न्याय संगत नहीं है। करचोरी की सम्भावना व्यक्त की जाती है। प्रमाणित नहीं होती है। आयकर विभाग भी छापे के दौरान करदाता को गिरफ्तार नहीं करता। जाँच-पड़ताल एवं सत्यापन के उपरान्त उच्च अधिकारी से अनुमति के बाद ही करदाता के विरूद्ध आपराधिक न्यायालय में वाद दाखिल किया जाता है। यही प्रक्रिया जी0एस0टी0 में अपनायी जानी चाहिए।

टैक्स गोष्ठी की विषय-वस्तु से धर्मेन्द श्रीवास्तव द्वारा परिचय कराया गया। मर्चेन्ट चेम्बर के सचिव महेन्द्र नाथ मोदी द्वारा चेम्बर की गतिविधियों से अवगत कराया गया। शरद शाह द्वारा सम्पूर्ण गोष्ठी के विषय में जानकारी प्रस्तुत की गयी। अध्यक्षता किटबा के अध्यक्ष शरद शेखर श्रीवास्तव द्वारा की गयी। गोष्ठी का संचालन सन्तोश कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। नरपत जैन द्वारा वक्ता का स्वागत किया गया। किटबा के महामन्त्री राहुल चन्द्रा द्वारा आभार व्यक्त किया गया। टैक्स गोष्ठी में मुख्य रूप से रियाजुद्दीन जुनैदी, दीप मिश्रा, मर्चेंट चेंबर के सदस्यगण, सहयोगी संस्था के पदाधिकारी, सदस्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अधिवक्ता, उद्यमी व व्यापारीगण तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पेशेवर व्यक्ति आदि उपस्थित रहे।